

न्यायालय श्री राजेन्द्र सिंह चारण, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 337/2021 (जीसीएमएस संख्या : 2021/349)
सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

श्यामलाल पुत्र श्री नानगराम, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम हाथौद, तहसील-
जयपुर, जिला-जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,
1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :-

1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थी असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 27.04.2022

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ग्राम-हाथौद की आराजी खसरा नंबर 499 रकबा 18 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री बालमुकन्द जी बहतमाम पुजारी नारायण वल्द रामानन्द अकवाम ब्राह्मण सा0 देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खुदकाश्त अंकित थी। जिसे पुजारी द्वारा विक्रय किये जाने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 151 क्रेता श्यामलाल पुत्र नानगराम के नाम इन्द्राज स्वीकार किया गया है। जो बदस्तूर चला आ रहा है जबकि वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री बालमुकन्द जी की खुदकाश्त आराजी है। कानूनन माफी मन्दिर/देवमूर्ति को शाश्वत अवयस्क माना गया है। अतः मूर्ति के नाम अंकित भूमि किसी दीगर के नाम होना गलत है। बिना किसी सक्षम आदेशों के मंदिर की आराजी स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है। अतः वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी का नाम विलोपित करके मन्दिर श्री बालमुकन्द जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र मय स्थगन प्रार्थना तहसीलदार, जयपुर द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर में प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया और आज्ञा दिनांक 23.09.2004 द्वारा प्रकरण अधीन आराजी की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने एवं जमाबन्दी में भूमि माफी



2

मन्दिर श्री बालमुकन्द जी की होने से रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है इस आशय का नोट अंकित किये जाने के आदेश दिये गये। श्रवण क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप अग्रिम विचारण एवं निस्तारण हेतु प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमानुसार अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहा। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015-2034 में माफी मन्दिर श्री बालमुकन्द जी बहतमाम पुजारी नारायण वल्द रामानन्द अकवाम ब्राह्मण सा० देह के नाम खातेदारी दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री बालमुकन्द जी बहतमाम पुजारी नारायण वल्द रामानन्द अकवाम ब्राह्मण सा० देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खुदकाशत अंकित है और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काशतकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित है। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाशत भूमि में प्राप्त हो गये हैं। माफी मन्दिर श्री बालमुकन्द जी की खुदकाशत की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा-काशत भी की गई है तो वह मूर्ति का कब्जा-कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री बालमुकन्द जी साकिन देह दर्ज हैं और कॉलम संख्या 5 नाम कृषक में खुदकाशत का इन्द्राज है। ऐसी स्थिति में किसी काबिज-काशतकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। पुजारियों को वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार किसी सक्षम अधिकारी द्वारा तत्समय प्रयुक्त कानूनों में नहीं दिये गये हैं और न ही वैध रूप से पुजारियों के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। माफी मन्दिर श्री बालमुकन्द जी की आराजी को पुजारी नारायण वल्द रामानन्द अकवाम ब्राह्मण सा० देह द्वारा अप्रार्थी श्यामलाल को बेचान किये जाने पर



२

क्रेता के नाम नामान्तरकरण संख्या 151 स्वीकार किया गया है। जबकि माफी मन्दिर की आराजी की खातेदारी पुजारियों को दिये जाने बाबत् कोई प्रचलित कानून नहीं है और न ही किसी कानून के अन्तर्गत पुजारी नारायण पुत्र श्री रामानन्द को खातेदारी दी गई है। अर्थात् पुजारी को किसी प्रकार से विधिक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है तो पुजारी के द्वारा किया गया बैचान और बैचान के आधार पर क्रेता के नाम नामान्तरकरण अथवा दर्ज राजस्व अभिलेख इन्द्राज स्वतः ही प्रारंभ से शून्य हो जाते हैं। जमाबंदी सम्वत् 2015-2034 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री बालमुकन्द जी बहतमाम पुजारी नारायण वल्द रामानन्द अकवाम ब्राह्मण सा० देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खुदकाशत अंकित है। अतः मूर्ति मंदिर श्री बालमुकन्द जी की वादग्रस्त आराजी खुदकाशत होने से आने वाले वर्षों में दर्ज इन्द्राज की निरन्तरता में ही प्रविष्टी की जानी थी परन्तु बालमुकन्द जी की खातेदारी की बजाय पुजारी के नाम बतौर कृषक नामान्तरकरण में दर्ज कर पुजारी द्वारा विक्रय किये जाने पर क्रेता के नाम खातेदारी इन्द्राज किये गये हैं जो प्रारंभ से शून्य है। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री बालमुकन्द जी की खुदकाशत खातेदारी आराजी को पुजारी द्वारा बेची गई है, अवैध रूप से बैचान किये जाने फलस्वरूप अप्रार्थी की निजी खातेदारी में दर्ज है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ऐसी स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में विभिन्न प्रक्रिया/नामान्तरकरणों के द्वारा किये गये राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज को निरस्त कर वापिस मन्दिर श्री बालमुकन्द जी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015-2034 में जमाबन्दी के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री बालमुकन्द जी बहतमाम पुजारी नारायण वल्द रामानन्द अकवाम ब्राह्मण सा० देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खुदकाशत है और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की



2

आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता है। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाशत भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री बालमुकन्द जी बहतमाम पुजारी नारायण वल्द रामानन्द अकवाम ब्राह्मण सा० देह की खुदकाशत आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा-काशत भी की गई है तो वह मूर्ति का कब्जा-कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री बालमुकन्द जी की खुदकाशत खातेदारी दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में नाबालिग मूर्ति मंदिर श्री बालमुकन्द जी की बतौर खुदकाशत की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। माफी मंदिर की भूमि के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में कलक्टर को अपनी राय के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व (गुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र प०क्र:-3(2)राज-6/ 2007/14 दिनांक 24.05.2007 को ज्यों की त्यों अंकित किया जाना समीचीन समझते हैं "1. राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है। अतः इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। बलदेव बनाम मूर्ति मंदिर श्री कृष्ण जी महाराज आ.आर.डी 1994 में निर्णित किया गया है कि मंदिर में पुजारी कौन होगा व उसके उत्तराधिकार के संबंध में विवाद दीवानी न्यायलयों द्वारा ही तय किया जा सकता है। मंदिर मूर्ति के खाते में पुजारी या सेवायत का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका काफी दुरुपयोग होता है। राजस्व रिकार्ड में पुजारी अथवा सेवायत का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। मूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के संबंध में अनावश्यक मुकदमें बाजी को रोकने के लिए परिपत्र दिनांक 13.12.1991 में निम्न निर्देश दिये गये थे :-

(i) भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी सा सेवायत का नाम नहीं लिखा जावे।

(ii) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील रजिस्टर पर संलग्न प्रोफार्मों में अलग से रखा जावे जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।



(Handwritten signature)

(iii) जो जमाबंदी बन चुकी है। तथा वर्तमान में प्रभावशील है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जावे।

2. जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मन्दिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाशत के रूप में दर्ज थी उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काशतकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मन्दिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है वह किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार, आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काशत दर्ज होने पर काशतकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों में जिनमें मन्दिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे।

3. मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गयी थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ-साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुये खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मन्दिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।

4. ऐसी भूमि के सम्बंध में जो मन्दिर माफी की थी के सम्बंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। धारा 9 निम्न प्रकार है:-

“जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार-जागीर भूमि के प्रत्येक काशतकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काशतकार को काशतकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काशतकार कहलायेगा।

5. जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काशतकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः



2

मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि-सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

6. वर्तमान में इस विषय में क्रम संख्या 5 पर अंकित प्रकरणों में जहां विभिन्न राजस्व न्यायालयों में जो प्रकरण लंबित है तथा राजस्व बोर्ड के समक्ष जो संदर्भ (reference) लंबित है। उन प्रकरणों में संबंधित अधिकृत अधिकारी उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप विधिक स्थिति से अवगत कराते हुए उन प्रकरणों/संदर्भों को निस्तारण करायेंगे।”

निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक राम/प-63/न्याय/स्था/05/636-689 दिनांक 06.01.2010 द्वारा समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलक्टर, समस्त राजस्व अपील अधिकारी को लिखा गया है कि मन्दिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के संबंध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी उनमें उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि-सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। अतः विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का विभिन्न स्तरों पर त्रुटिवश संदर्भ हेतु लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तदनुसार ही कराया जाना सुनिश्चित करावें।

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प03(2)राज-6/07/19 दिनांक 25.11.2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भू-प्रबन्ध अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ-साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत हुए थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 13.12.1991 की मंशा के विरुद्ध की गई कार्यवाही थी। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015-2034 के कॉलम संख्या 5 में दर्ज इन्द्राज की निरन्तरता में ही राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाना था। यह सही है कि जागीर रिज्यूम हो जाने के कारण कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता में सरकार का इन्द्राज किया जावेगा परन्तु यह भी सही है कि जहां नाम भोक्ता कॉलम में माफी मंदिर का इन्द्राज है और कॉलम संख्या 5 में खुदकाशत अंकित है ऐसी परिस्थिति में खुदकाशत वाले कॉलम में मंदिर का नाम दर्ज किया जावेगा। राजस्व अभिलेखों में मंदिर श्री बालमुकन्द जी का नाम दर्ज करने के बजाय बिना किसी विधिक प्रक्रिया



३

अपनाये पुजारी के नाम दर्ज किये गये है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। राजस्व अभिलेख में बिना विधिक अधिकार पुजारी के नाम दर्ज किये जाने के कारण इनके द्वारा बैचान किये जाने के फलस्वरूप क्रेता के नाम वादग्रस्त आराजी की खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार मंदिर मूर्ति श्री बालमुकन्द जी नाबालिग की खुदकाशत आराजी को विधिक प्रावधानों के विरुद्ध एवं बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया अपनाये पुजारी के नाम दर्ज किया गया है जो प्रारंभ से शून्य है। शून्य आधारित इन्द्राज के फलस्वरूप माफी मन्दिर श्री बालमुकन्द जी की खुदकाशत आराजी का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2056 में क्रेता के नाम दर्ज है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अतः बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये पुजारी के नाम किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 499 रकबा 18 बिस्वा के सम्बन्ध में पुजारी के नाम के इन्द्राज एवं इसके पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या 151 ग्राम हाथोद द्वारा किये गये इन्द्राज को निरस्त कर वापिस मन्दिर श्री बालमुकन्द जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(राजेन्द्र सिंह चारण)
अति कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर